प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 19.03.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नुरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा अपहरण कर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 2,60,000/– रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:–

अवगत कराना है कि दिनांक 26.11.2017 को वादी श्री फैयाजुद्दीन पुत्र मौ0 युसुफ नि0 ग्राम आजमपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पिता का अपहरण कर गाडी लूटकर उनकी हत्या कर देने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 588/2017 धारा 364/302/34/201/394/411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.03.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्तगण 1.पियूष कुमार पुत्र यशपाल सिंह 2.मनोज उर्फ कलवा पुत्र अनिल नि0गण ग्राम पुरैना अब्दुल रहमानपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग में आजीवन कारावास व 2,60,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता:–

1.पियूष कुमार पुत्र यशपाल सिंह नि0 ग्राम पुरैना अब्दुल रहमानपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.मनोज उर्फ कलवा पुत्र अनिल नि0 ग्राम पुरैना अब्दुल रहमानपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना अफजलगढ दिनॉक 19.03.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने ने मु0अ0सं0 81/24 धारा 420 भादवि व धारा 15(2)/15(3) मेडिकल कॉउसिंल अधि0 से संबंधित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.03.2024 को डॉ0 रजनीश चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अफजलगढ ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जीशान अनवर पुत्र इसरार नि0 मौ0 नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 2. भूवनेशवरी देवी उर्फ डॉ निधि शर्मा पत्नी सुनील दत्त शर्मा नि0 मो0 विश्नोई सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा धोखा धडी करके बिना किसी पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित इमेज अस्पताल अफजलगढ को खोलना व बिना किसी वैध डिग्री के महिला ऑपरेशन करना व औषधी केन्द्र के पंजीकरण के बिना दवाई की आपूर्ति करना। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 81/24 धारा 420 भादवि व धारा 15(2)/15(3) मेडिकल कॉउसिंल अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.03.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 81/24 धारा 420 भादवि व धारा 15(2)/15(3) मेडिकल कॉउसिंल अधि0 से संबंधित अभियुक्तगण में वांछित अभियुक्तगण 1.जीशान अनवर पुत्र इसरार नि0 मौ0 नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 2.भूवनेशवरी देवी उर्फ डॉ निधि शर्मा पत्नी सुनील दत्त शर्मा नि0 मो0 विश्नोई सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.जीशान अनवर पुत्र इसरार नि0 मौ0 नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.भूवनेशवरी देवी पत्नी सुनील दत्त शर्मा नि0 मो0 विश्नोई सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2–का0 293 राहुल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3–म0का0 623 शिवानी पुण्डीर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर दिनॉक 19.03.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने अवैध जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.03.2024 को थाना चांदपुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्तगण 1.अय्यूब पुत्र जमीर अहमद 2.शमीम पुत्र जॅहागीर शाह 3. खुर्शीद पुत्र फुरकान 4.मुस्तकीम पुत्र इलयास 5.नदीम पुत्र जीमल 6.जहीर पुत्र जीमल नि0गण ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को मौके से पकडा तो अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर पुलिस टीम को गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध जुआ/सट्टा आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस टीम ने अवैध सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्तगण 1.अय्युब पुत्र जमीर अहमद 2.फईम पुत्र जंहागीर शाह 3. जहीर पुत्र जमीर अहमद 4.नदीम पुत्र जमीर अहमद नि0गण ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को सट्टा पर्चा, पैन आदि व 1180/– रूपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 127/2024 धारा 147/149/353/504/506 भादवि व 13जी एक्ट पंजीकृत किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.अय्युब पुत्र जमीर अहमद नि0 ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.फईम पुत्र जंहागीर शाह नि0 ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.जहीर पुत्र जमीर अहमद नि0 ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.नदीम पुत्र जमीर अहमद नि0 ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1–एक सट्टा पर्चा, पैन आदि व कुल 1186/– रूपये नगदी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2– हे0का0 371 धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3– का0 1627 मौ0 मोबीन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4– हो0गा0 कुलवीर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक 19.03.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 111/2024 धारा 147/148/149/307/452/427/336/323/504/506 भादवि व धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.03.2024 को वादी श्री नौशाद पुत्र इश्हाक निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी की अभियुक्तगण 1.शाहनवाज 2.सुबैल 3.नवैदुल पुत्रगण जहीर उर्फ भूरे 4.सिराजुव 5.मौ0 रफी उर्फ सोनी पुत्रगण निजामुदीन व 6.नदीम पुत्र साबिर निवासीगण ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के भाई शाहजाद, सुलेमान एवं वादी के भांजे फैसल व फैद पुत्रगण जाबिर व वादी की भाभी फरीन के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा अभियुक्त नदीम द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायरिंग की गयी एवं वादी के घर पर पथराव किया गया । तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 147/148/149/307/452/427/336/323/504/506 भादवि बनाम शाहनवाज आदि उपरोक्त कुल 06 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.03.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 111/2024 धारा 147/148/149/307/452/427/336/323/504/506 भादवि व धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित अभियुक्त नदीम उर्फ भोला पुत्र साबिर निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम उर्फ भोला पुत्र साबिर नि0 ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री हरवीर सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 754 मुकेश कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2035 असलम थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 19.03.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शेरकोट	पिन्टू पुत्र फत्तू सिंह नि0 ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2	रेहड	अशोक पुत्र ठकरी सिंह नि0 ग्राम भज्जावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3	शिवाला कलां	सुरेश पुत्र जयराम सिंह नि0 ग्राम झुझैला थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
4	शिवाला कलां	महेन्द्र पुत्र नौवती सिंह नि0 ग्राम मझौला गुर्जर थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
5	हल्दौर	मंजीत सिंह पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
6	नजीबाबाद	इनाम अली पुत्र शौकीन नि0 ग्राम जसवन्तपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7	नगीना देहात	सेंन्टी पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम प्रेम नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
8	को0 शहर	पुष्पेन्द्र पुत्र सुभाष कुमार नि0 ग्राम मौ0 भाटान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
9	को0 शहर	रविश कुमार पुत्र जगन्नाथ उपाध्याय नि0 गंज थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
10	धामपुर	विक्की पुत्र हेमराज सिंह नि0 ग्राम अमर खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
11	धामपुर	सचिन पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम अमर खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

थाना शेरकोट

थाना रेहड

थाना शिवाला कलां

थाना शिवाला कलां

थाना हल्दौर

थाना नजीबाबाद

थाना नगीना देहात

थाना धामपुर

थाना को0 शहर

थाना को0 शहर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनांक 19.03.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रईस पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 65/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

रईस पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.मुख्य आरक्षी 750 अंकित राघव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.मुख्य आरक्षी 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3.आरक्षी 2583 दिनेश कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 19.03.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त गौरव पुत्र राजे निवासी ग्राम शरीफपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 82/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गौरव पुत्र राजे निवासी ग्राम शरीफपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. आरक्षी 628 आशीष थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. हो0गा0 जीत सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 19.03.2024**

थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.03.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान ग्राम नांगल से सराय आलम की ओर जाने वाले रास्ते से अभियुक्त लेखराज पुत्र राजेश निवासी जालपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0स0 62/2024 धारा 3/25 (1-B)(a) शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

लेखराज पुत्र राजेश निवासी जालपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री देवदत्त गौड थाना नांगल जनपद बिजनौर

2. का0 2569 आकाश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 19.03.2024**

थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.03.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कोटसराय की नहर पुलिया के पास से अभियुक्त भोले पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम शादादपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0स0 63/2024 धारा 3/25 (1-B)(a) शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

भोले पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम शादादपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थाना प्रभारी अशोक कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

2. मुख्य आरक्षी 549 विकास थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर दिनॉक 19.03.2024

थाना धामपुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.03.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त इमरान उर्फ मोनू पुत्र अल्लादिया नि0 मौ0 बन्दुकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त इमरान उर्फ मानू उपरोक्त थाना धामपुर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है जिसके विरूद्ध थाना धामपुर पर करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.इमरान उर्फ मानू पुत्र अल्लादिया नि0 मौ0 बन्दुकचियान थाना धामपुर बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1–एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास–

1–मु0अ0सं0 162/17 धारा 379 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2–मु0अ0सं0 164/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3– मु0अ0सं0 165/17 धारा 41/201 सीआरपीसी व 411/413/414 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4– मु0अ0सं0 565/17 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
5– मु0अ0सं0 554/18 धारा 364 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
6– मु0अ0सं0 112/19 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
7–मु0अ0सं0 180/19 धारा 457/380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
8– मु0अ0सं0 189/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
9– मु0अ0सं0 195/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
10– मु0अ0सं0 211/19 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
11– मु0अ0सं0 102/21 धारा 8/15 एनडीपीएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
12– मु0अ0सं0 117/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2– हे0का0 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3– का0 1045 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनांक 19.03.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्ता को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्ता गुड़िया पत्नी राहुल निवासी ग्राम बावन सराय थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0-66/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुड़िया पत्नी राहुल निवासी ग्राम बावन सराय थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.मुख्य आरक्षी 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2. का0 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर